उत्तर प्रदेश द्वारा जाति-आधारित प्रथाओं पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सौहार्द को प्रोत्साहित करने हेतु **जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने**, जाति आधारित साइनबोर्ड हटाने और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख करने पर रोक हेतु अधिसूचना जारी की है।

- यह निर्णय **इलाहाबाद** **उच्च न्यायालय** द्वारा प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिये गए निर्णय के बाद आया है, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड में जाति दर्ज करने को प्रतिगामी और आधुनिक, **धर्मनिरपेक्ष** भारत के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया गया था।

मुख्य बिंदु

- **राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध:** अधिसूचना में जातिगत पहचान के आधार पर राजनीतिक रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि वे सामाजिक संघर्ष को बढ़ाती हैं और **"लोक व्यवस्था" एवं "राष्ट्रीय एकता"** के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।
- **वाहनों पर प्रदर्शन:** जिन वाहनों पर **जाति-आधारित स्टीकर, नारे या पहचान-चिह्न** प्रदर्शित होंगे, उन पर ***?????????? ???? ???? ????????, 1988*** के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- **साइनबोर्ड पर प्रतिबंध:** ऐसे सार्वजनिक साइनबोर्ड, जो किसी विशेष जाति का महिमामंडन करते हैं या भौगोलिक क्षेत्रों को जाति-आधारित क्षेत्र/संपदा घोषित करते हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाएगा।
- **पुलिस अभिलेखों की प्रक्रिया में संशोधन:**
  - आदेश के अनुसार, **गिरफ्तारी ज्ञापन** तथा **वसूली अभिलेखों** आदि से जाति का कॉलम हटाया जाएगा।
  - **पुलिस डेटाबेस (CCTNS पोर्टल)** से भी जाति-कॉलम हटाया जाएगा। इसके स्थान पर सभी अभिलेखों में पिता के नाम के साथ माता का नाम भी दर्ज किया जाएगा।
- **सोशल मीडिया की निगरानी:** अधिकारियों को **सोशल मीडिया** **प्लेटफार्मों** की निगरानी कर जाति आधारित घृणा फैलाने या किसी जाति समूह का महिमामंडन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
- **SC/ST अधिनियम, 1989 हेतु अपवाद:** जाति निषेध से छूट केवल **SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** से जुड़े मामलों पर लागू होगी, जहाँ जाति की पहचान आवश्यक है।

भेदभाव के विरुद्ध प्रावधान

- **संवैधानिक प्रावधान**
  - **विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14):** भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान व्यवहार या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
  - **भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15):** राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
  - **अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17):** यह अनुच्छेद **असपृश्यता** की प्रथा को समाप्त करता है।
- **वैधानिक प्रावधान**
  - **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:** यह अधिनियम अनुच्छेद 17 को लागू करने हेतु बनाया गया, जिसने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया।
  - **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** यह अधिनियम SC/ST समुदाय के सदस्यों को जाति-आधारित भेदभाव एवं हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/up-to-curb-caste-based-practices